न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/2018

1. संतोखसिंह
2. महेन्द्रसिंह
3. प्रीतमसिंह

पिसरान इन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी चक 7 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुखदेवसिंह
2. जगदेवसिंह
3. गुरतेजसिंह

पिसरान महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी 10 ए छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

4. हरबंससिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह

5. अजयपालसिंह
6. शक्तिसिंह

पिसरान करणीसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानथेडी गगानी तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. तेजकौर पत्नी इन्द्रसिंह
8. अमनदीपसिंह पुत्र बलवीरसिंह

जाति रामगढिया निवासी चक 10 ए छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागर

दिनांक 28.06.2018

उपस्थिति :—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 4

श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 03.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 4 ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 10ए छोटी के मु.नं. 61 के कि.नं. 6/1, 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में चल रहे रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया, साथ ही यह भी निवेदन किया कि यदि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना सम्भव न हो तो कि.नं. 10, 11, 21 में रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रा.पत्र पेश होने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.04.2018 को पत्रावली दर्ज रजि.कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये। दिनांक 08.06.2018 को अप्रार्थी सं. 1, 2 व 7 की तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश होने पर जारी होने का आदेश दिया एवं आगामी तारीख पेशी 28.06.2018 को नियत की गई। दिनांक 28.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत 5 जी. में पेश होने पर अधी. न्यायालय ने मु.नं. 61 के कि.नं. 6/1, 15, 16/1, 16/2, 25 में मौके पर चल रहे रास्ता को गै0मु0 रास्ता घोषित किया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को दिलाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना सुने पारित किया है। पत्रावली तलबी में चल रही थी। कैम्प में पत्रावली रखने का कोई आदेश नहीं था। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाने के आदेश दिये हैं। रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने लोक अदालत में आदेश पारित किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.06.2018 में यह अंकित है कि अप्रार्थी सं. 1, 2 व 7 की तलबी हेतु पुनः रजि. सम्मन पेश होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.06.2018 को पेश हो। दिनांक 28.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत में चक 5 जी. छोटी में पेश हुई। इस तारीख को प्रा.पत्र स्वीकार रास्ता स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पत्रावली तलबी में चल रही थी। आदेशिका दिनांक 28.06.2018 में यह अंकित नहीं है कि शेष अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी थी एवं उनकी ओर से कोई उपस्थित आ चुका था। इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 08.06.2018 में पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार पत्रावली पर मौजूद अपीलांट सं. 1 के जबाब में उल्लेखित तथ्यों एवं उजरात के सम्बन्ध में कोई विवेचन कर इनके सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त कर स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए एवं उसकी कियान्विति हेतु बने नियम 69 की पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए सभी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारों को सुनकर, विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)